

कार्यालय प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय
गो ७० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

पत्रांक: प्र०अ०भ०क्र०/२०१७-१८/३९१

दिनांक- २, फरवरी २०१८

समस्त अधिष्ठाता, निदेशक/विभागाध्यक्ष (वाह्य शोध इकाईयों सहित)


अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या प्र०अ०भ०क्र०/२०१७-१८/१२८ दिनांक २८ जुलाई २०१७ द्वारा विश्वविद्यालय में लागू की गई उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-२०१७ के नियम ७(३) के अनुरूप विश्वविद्यालय में गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से अधिप्राप्तियाँ नियमानुसार करने की सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से की जाने वाली अधिप्राप्ति प्रक्रिया General Financial Rules २०१७ (समय-समय पर यथासंशोधित) के Rule १४९ के अनुसार है। अतः विश्वविद्यालय की समस्त इकाईयाँ गर्वमेन्ट GeM पोर्टल से सीधे ऑनलाईन अधिप्राप्तियाँ निम्न प्रकार कर सकती हैं:-

- I. Up to ₹ ५०,०००/- through any of the available suppliers on the GeM,
- II. Above ₹ ५०,०००/- and up to ₹ ३०,००,०००/- through the GeM Seller having lowest price amongst the available sellers, of at least three different manufactures, on GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period. (GeM पोर्टल पर मूल्यों की तुलना करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी से पुनः वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।)

GeM पोर्टल से अधिप्राप्तियाँ करने हेतु विश्वविद्यालय की समस्त इकाईयों का GeM पोर्टल पर 'Buyer and Consignee' के रूप में पंजीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के माध्यम से करवाया जाना है। साथ ही समस्त महाविद्यालयों/निदेशालयों/विभागों का विश्वविद्यालय के भिन्न 'Divisions' के रूप में भी पंजीकरण किया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय/निदेशालय/विभाग के लिए अधिप्राप्ति हेतु अधिकृत कार्मिकों (विभागाध्यक्ष/समकक्ष) का नाम, आधार नम्बर से Linked मोबाईल नम्बर एवं उनको विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई ई-मेल आई.डी. अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को संलग्नक प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उनको GeM पोर्टल पर क्रेता/प्राप्तकर्ता/भुगतान प्राधिकारी (Buyer/Consignee/Paying Authority) के रूप में पंजीकृत किया जा सके। GeM पोर्टल से अधिप्राप्तियों एवं पंजीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी

(Training material, resources etc.) भारत सरकार की वेबसाइट **gem.gov.in** पर देखी जा सकती है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि Purchase Officer द्वारा GeM पोर्टल पर रू0 30.00 लाख एवं उससे अधिक की सीमा का ऑनलाईन क्रयादेश भी जारी हो सकता है। अतः Purchase Officer को सचेत किया जाता है कि GeM पोर्टल पर ऑनलाईन क्रयादेश वित्तीय सीमा के अन्तर्गत ही करें। किसी भी विभाग/इकाई के द्वारा GeM पोर्टल पर वित्तीय सीमा से अधिक राशि का ऑनलाईन क्रयादेश जारी करने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।


प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण।
2. वित्त नियंत्रक को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों/निदेशालयों एवं विभिन्न इकाईयों के लिए भुगतान प्राधिकारी (Paying Authority) को नामित करने के आशय से प्रेषित।
3. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति जी के सूचनार्थ।

/

प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय

APPLICATION FORM FOR CREATION OF ACCOUNT ON GeM

As Buyer/ Consignee/ Paying Authority

(To be sent manually to Stores Purchase Office)

Sl. No.	Description	Detail
1	Dean/Director/Sectional Head Ref No. & date	
2	Name of College/ Directorate/ Section etc.	
3	Name of the Department	
4	Applicant Name	
5	Designation (Competent HODs/ Equivalent officer)	
6	Role applied for (Buyer/ Consignee/ Paying Authority)	
7	Phone No. with STD code	
8	Mobile No. of applicant linked with Aadhar	
9	E-mail ID of applicant provided by the University@gbpuat.ac.in
10	Aadhar no. of applicant	
11	Details of Verifying/ Authenticating/ Administrative officer* a) Name of Verifying/ Authenticating/ Administrative officer b) Designation c) Official email ID d) Official address e) Official phone no. f) Official website g) Mobile No. * Deans/ Directors/ Sectional Head	

Signature of Applicant (with Name & Designation) Date: Place:	Signature of Verifying/ Authenticating/ Administrative Officer (Deans/ Directors/ Sectional Head) (Name & Designation with Rubber Stamp) Date: Place:
--	--

Abhishek
2/2/18